वित्तीय स्वीकृति

संख्या-17/2022/2333/52-3-22-बजट (7)/2018-3002(002)/2/2022

प्रेषक,

गुलाब सिंह.
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण.
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संचालन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 800.00 लाख में अवशेष धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3806/अ0सं00नि0-13/लेखा/बजट-आ0/2022-23, दिनांक 30-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार, उ0 प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अरबी फारसी मदरसा बोर्ड को वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष निर्गत प्रथम किश्त रू0 265.00 लाख अवमुक्त की गयी, अवमुक्त धनराशि में से अब तक धनराशि रू0 118.73 लाख व्यय की जा चुकी है। व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022. दिनांक 30.12.2021 के प्रस्तर-2 (6) में निहित व्यवस्था के अनुसार अरबी फारसी मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसों में परीक्षाओं के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखानुदान में प्रावधानित धनराशि रू0 800.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 535.00 लाख (रु० पॉच करोड़ पैतीस लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशोंका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2023 तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के विगत वर्षों व चालू सत्र के पारिश्रमिक तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू शैक्षिक सत्र 2022-23 की परीक्षाओं के संचालन / आयोजन पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक- 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-09-अरबी फारसी बोर्ड-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश बित्त विभाग के अशासकीय सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-2333(1)/52-3-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
7. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।